भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3540

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान

3540. श्री कौशल किशोरः

श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरीदारी करते समय डेबिट कार्ड से भुगतान करने की अधिकतम सीमा को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शादी, पार्टी आदि जैसे कई विशेष समारोहों में अधिकतम राशि का नकद भुगतान करने से देश में कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, कार्ड के माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सीमा को कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीए) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, खरीद हेतु डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की अधिकतम सीमा को बैंकों द्वारा कम नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, सरकार ने कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढने तथा काले धन के सृजन तथा परिचालन को कम करने हेतु अनेक कदम उठाये हैं। वित्त अधिनियम, 2017 तथा आय-कर अधिनियम, 1961 मे अंत:स्थापित धारा 269एसटी में यह उपबंध है कि अदाता खाता चेक, अदाता खाता बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक खाते के माध्यम से ईलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के उपयोग के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को 2 लाख अथवा इससे अधिक की राशि:-

(i) एक दिन में किसी व्यक्ति से समग्र राशि के रूप में;

(ii) एकल लेन-देन के संबंध में; अथवा

(iii) किसी व्यक्ति से एक हीं कार्यक्रम अथवा उपलक्ष्य से संबंधित संव्यवहार के संबंध में;

प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई राशि उक्त अधिनियम की धारा 269एसटी के उपर्युक्त उपबंधों का उल्लंघन करते हुए स्वीकार की जाती है तो ऐसी राशि पर 100 प्रतिशत की दर से दंड का प्रावधान लागू होगा।

*****